भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2296

दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए

महिला उद्यमिता

2296. श्री कृष्ण पाल सिंह यादवः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और
(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी   महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : देश में महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं :

1. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल :

- देश में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय महिलाओं द्वारा स्टार्टअप एवं महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण नामक परियोजना चला रहा है। यह परियोजना नए व्यवसाय शुरू करने तथा मौजूदा उद्यमों का विस्तार करने के लिए माहिला सूक्ष्म उद्यमियों के लिए इनक्यूवेशन एवं त्वरण कार्यक्रम संचालित करती है।

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की पहलें :

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रमुख क्रेडिट संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम। 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए पात्र है।
- विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे कि महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्प संख्यक, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमा क्षेत्र आदि के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है।
- महिलाओं के स्वामीत्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से 3 प्रतिशत खरीद का विशेष प्रावधान

3. नीति आयोग की पहल :

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नीति आयोग की महत्वपूर्ण पहल के रूप में 8 मार्च 2018 को महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (डब्ल्यूईपी) लॉच किया गया। डब्लयूईपी का कवरेज अखिल भारतीय है और इसमें कोई राज्य विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। पोर्टल पर पंजीकरण तथा सभी परवर्ती सेवाएं डब्ल्यूईपी प्रतियोगिताओं के लिए नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। डब्लयूईपी उद्यमिता के क्षेत्र में आकांक्षी एवं स्थापित दोनों प्रकार की महिलाओं की आवश्यकताएं पूरी करता है।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्नलिखित कार्यान्वित कर रहा है :

- ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास बैंकों के नेतृत्व में संचालित पहल है जो प्रशिक्षणार्थी को बैंक ऋण प्राप्त करने तथा अपना स्वयं का सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में समर्थ बनाता है।
- आरएसईटीआई कार्यक्रम इस समय 585 आरएसईटीआई के माध्यम से 23 अग्रणी बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र तथा कुछ ग्रामीण बैंक) द्वारा 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। जिसके तहत देश के 566 जिले शामिल हैं।
- आरएसईटीआई में प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल आर्हता रूपरेखा से संरेखित 61 पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान किया जा रहा है। 61 पाठ्यक्रमों में से 38 पाठ्यक्रम इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के बाद स्वरोजगार के अवसर शुरू करने के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

****